उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 16.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 16.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 16.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान

- आज दिनांक 16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 16.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्टों के अनुपालन एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 16.02.2026 को प्रभावी कार्यवाही की गई।
- उक्त अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई की गई।
- माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जिला महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट परिवाद संख्या 636/2019, धारा 323/504/506 भा.दं.वि. से संबंधित 01 नफर वारण्टी किशोरी पुत्र धुन्धा, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को ग्राम नैपुरा से गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संपादित कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 दीक्षा सिंह, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा
2. का0 तेज सिंह थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

जनपद महोबा पुलिस द्वारा SPEL कार्यक्रम के तृतीय चरण में महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों पर विशेष विधिक जागरूकता सत्र आयोजित

- आज दिनांक 16.02.2026 को महिला थाना, जनपद महोबा की पुलिस टीम द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत एक विशेष शैक्षिक एवं जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया।
- यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह (नोडल अधिकारी, SPEL-3) के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।
- कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेष रूप से बाल संरक्षण कानूनों, महिला सुरक्षा संबंधी अधिनियमों, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों, मानव तस्करी तथा अन्य गंभीर अपराधों के संबंध में लागू विधिक प्रावधानों एवं दंडात्मक प्रावधानों से अवगत कराया गया।
- सत्र के दौरान छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबरों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं पुलिस सहायता प्राप्त करने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। संवादात्मक शैली में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया गया।
- कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में विधिक जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ बनाना रहा।
- जनपद महोबा पुलिस भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता एवं जनसहभागिता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करती रहेगी।

महोबा पुलिस

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हार्दिक सिंह मय हमराह कां0 इन्द्रपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त परमेश्वरी दयाल पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम तुर्रामुहार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 16 अदद पाउच अवैध देशी शराब ब्राण्ड मस्तीह् गोल्ड नाजायज बरामद करते हुये ग्राम तुर्रा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हार्दिक सिंह
2. कां0 इन्द्रपाल सिंह चौहान

गिरफ्तार अभियुक्त-

परमेश्वरी दयाल पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम तुर्रामुहार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 16 अदद पाउच देशी शराब नाजायज बरामद।